



न्यायालय माननीय प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

3002-11/13

राजस्व रिवीजन प्र.क.

आर/13

बाबूलाल आत्मज मन्जूलाल आयु 73 वर्ष, कृषक
निवासी-मोगरा तहसील रेहटी,
जिला-सीहोर (म.प्र.)

.....रिवीजनकर्ता

चाकरवीर
5-8-13 को

विरुद्ध

नर
25-8-13
जस्व मण्डल ग्वालियर
रत्नागिरी

1. मुकेश कुमार आत्मज किशोरीलाल ✓
बाजूलाल आत्मज मुन्जूलाल (मृत) द्वारा-विधिक वारिसान
सुरेश आत्मज बाजूलाल
- बी- बलवान सिंह आत्मज स्व. महेश ✓
- सी- सुल्तान सिंह आत्मज स्व.महेश ✓
- डी- श्रीमती भूरियाबाई पुत्री बाजूलाल पत्नी श्री अनूपसिंह ✓
निवासी-ग्राम सलकनपुर तहसील रेहटी जिला-सीहोर
- ई- श्रीमती गीता पुत्री बाजूलाल पत्नी रामाधार ✓
निवासी-ग्राम सोयत तहसील रेहटी जिला-सीहोर
- एफ- श्रीमती विमला पुत्री बाजूलाल पत्नी श्री रघुराज सिंह ✓
निवासी-ग्राम सेल तहसील सिवनी मालवा होशंगाबाद
3. रामलाल आत्मज मुन्जूलाल
4. रमेश आत्मज मुन्जूलाल
समस्त निवासीगण ग्राम मोगरा,
तहसील रेहटी जिला सीहोर (म.प्र.)

....अनावेदकगण

राजस्व रिवीजन अर्जा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
जिला - सीहोर

निग0 3002-दो/2013

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-2015	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग के प्रकरण क्रमांक 185/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 14-5-2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 5-8-2013 को पेश किया गया था। इस प्रकरण में दिनांक 26-8-13 को आवेदक अभिभाषक के ग्राह्यता पर तर्क श्रवण कर दिनांक 5-9-13 को प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया गया था तथा अभिलेख मंगाये जाने एवं अनावेदक को सूचना दिये जाने के आदेश दिये गये थे। अनावेदक अभिभाषक श्री बी0एल0 यादव उपस्थित हुये, उनके द्वारा तर्क में बताया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को लंबित रखने के उद्देश्य से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।</p> <p>2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। पेशी दिनांक 26-8-2013 के बाद लगभग 11 पेशीयां दिनांक 24-9-13, 30-10-13, 30-1-14, 27-3-14, 29-4-14, 26-6-14, 27-8-14, 30-10-14, 27-11-14, 8-12-14 एवं आज दिनांक 12-1-15 तक न तो आवेदक एवं न ही उनके अभिभाषक प्रकरण में उपस्थित रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रूचि न लेने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>(डा0 मधु खरे) सदस्य</p>	